न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या –986 / 2024
अनवान : –

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र कृष्णलाल जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर ।

– वादी

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र मोहनलाल उर्फ मोमन जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
2. भागी देवी पत्नि केदारनाथ जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
3. मनीराम पुत्र केदार नाथ जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
4. भगवानाराम पुत्र केदार नाथ जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
5. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र केदार नाथ जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
6. हसंराज पुत्र केदार नाथ जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
7. श्याम सुन्दरपुत्र टीकूराम जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
8. भागवन्ती पत्नि शिव कुमार जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
9. राकेश कुमार पुत्र कृष्णलाल जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 07/07/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 137 / 137 के ख.न. 751 की 2.1750 हैक्टर भूमि ख. न. 895 की 1.1760 हैक्टर भूमि कुल तादादी 3.3510 हैक्टर भूमि स्थित है जिसके मोमन उर्फ मोहन पुत्र ईशर राम जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार है।

मोमन उर्फ मोहन पुत्र ईशर राम जाति ब्राहगण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर फौत हो चुके है तथा उनका एक लड़का केदारनाथ फौत हो चुका है तथा ईशर राम का भाई टीकमचन्द भी फौत हो चुका हे तथा उनका लड़का कृष्णलाल, शिवकुमार व श्यामसुन्दर भी फौत हो चुका है तथा केदारनाथ के वारिसान प्रतिवादीगण सं. 2 ता 6 है तथा कृष्णलाल के वारिसान वादी एंव प्रतिवादी सं. 9 है। वादग्रस्त कृषि भूमि में मोहन पुत्र ईशर ने अपने नाम दर्ज कृषि भूमि अपने जीवन काल में ही टीकमचन्द के पौत्र व राजेन्द्र कुमार को दे दी तथा मोहन पुत्र ईशर के फौत होने पर वादी ने प्रतिवादीगण सं. [illegible] ईशर के नाम दर्ज भूमि वादी के नाम दर्ज करवा देवे तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 9 [illegible] भूमि दर्ज करवा दी है इसलिए रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर [illegible] तादादी 3.3510 हैक्टर भूमि में मृतक मोहन पुत्र ईशर के नाम दर्ज 1/4 [illegible] वादी व प्रतिवादी स0 [illegible] साहिब के खातेदार काश्तकार है तथा मृतक मोहन पुत्र ईशर का [illegible] कलमजन करवाकर [illegible] यों की वादी न्यायालय से घोषणा करवापाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.18 18:37:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with OKEN Scanner

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 9 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 10 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण मोहनलाल व कुनी देवी, ,शपथ पत्र बावत सदस्य दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मोहन पुत्र ईशर के नाम दर्ज है मोमन उर्फ मोहन पुत्र ईशर राम जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर फौत हो चुके है तथा उनका एक लड़का केदारनाथ फौत हो चुका है तथा ईशर राम का भाई टीकमचन्द भी फौत हो चुका हे तथा उनका लड़का कृष्णलाल, शिवकुमार व श्यामसुन्दर भी फौत हो चुका है तथा केदारनाथ के वारिसान प्रतिवादीगण सं. 2 ता 6 है तथा कृष्णलाल के वारिसान वादी एंव प्रतिवादी सं. 9 है। वादग्रस्त कृषि भूमि में मोहन पुत्र ईशर ने अपने नाम दर्ज कृषि भूमि अपने जीवन काल में ही टीकमचन्द के पौत्र व राजेन्द्र कुमार को दे दी तथा मोहन पुत्र ईशर के फौत होने पर वादी ने प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 से कहा कि मोहन पुत्र ईशर के नाम दर्ज भूमि वादी के नाम दर्ज करवा देवे तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 9 वादी के नाम भूमि दर्ज करवा दी है इसलिए रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 137/137 की कुल तादादी 3.3510 हैक्टर भूमि में मृतक मोहन पुत्र ईशर के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि के वादी व प्रतिवादी स0 7 व 8 बहिब के खातेदार काश्तकार है प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा गन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 137/137 के ख.न. 751 की 2.1750 हैक्टर भूमि ख.न. 895 की 1.1760 हैक्टर भूमि कुल तादादी 3.3510 हैक्टर भूमि स्थित है जिसके मोमन उर्फ मोहन पुत्र ईशर राम जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। वादी का कथन है कि वाद भूमि व[illegible] रिका[illegible] पुत्र ईशर के नाम दर्ज है मोमन उर्फ मोहन पुत्र ईशर राम जाति ब्राहमण निवासी म[illegible] फौत हो चुके है तथा उनका एक लड़का केदारनाथ फौत [illegible] का भाई टीकमचन्द भी फौत हो चुका हे तथा उनका लड़का कृ[illegible] व श्यामसुन्दर भी फौत हो चुका है तथा केदारनाथ के वारिसान प्रतिवादीगण सं. 2 ता 6 है [illegible] कृष्णलाल के वारिसान वादी एंव प्रतिवादी सं. 9 है। वादग्रस्त कृषि भूमि में मोहन पुत्र ईशर ने अपने नाम दर्ज कृषि भूमि अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.18 18:37:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with OKEN Scanner

जीवन काल में ही टीकमचन्द के पौत्र व राजेन्द्र कुमार को दे दी तथा मोहन पुत्र ईशर के फौत होने पर वादी ने प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 से कहा कि मोहन पुत्र ईशर के नाम दर्ज भूमि वादी के नाम दर्ज करवा देवे तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 9 वादी के नाम भूमि दर्ज करवा दी है इसलिए रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 137/137 की कुल तादादी 3.3510 हैक्टर भूमि में मृतक मोहन पुत्र ईशर के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि के वादी व प्रतिवादी स0 7 व 8 बहिब के खातेदार काश्तकार है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 को कोई ऐतराज नही है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य हैं।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 137/137 की कुल तादादी 3.3510 हैक्टर भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि में मोहन पुत्र ईशर का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी स0 7 व 8 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 07/07/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.18 18:37:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या –986/2024

अनवान : –

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र कृष्णलाल जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर ।

– वादी

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र मोहनलाल उर्फ मोमन जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
2. भागी देवी पत्नि केदारनाथ जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
3. मनीराम पुत्र केदार नाथ जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
4. भगवानाराम पुत्र केदार नाथ जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
5. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र केदार नाथ जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
6. हसंराज पुत्र केदार नाथ जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
7. श्याम सुन्दरपुत्र टीकूराम जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
8. भागवन्ती पत्नि शिव कुमार जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
9. राकेश कुमार पुत्र कृष्णलाल जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 986 सन 2024 निर्णय दिनांक 07/07/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 137/137 की कुल तादादी 3.3510 हैक्टर भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि में मोहन पुत्र ईशर का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी स0 7 व 8 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/07/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Gadhwal
Date: 2025.07.18 18:37:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner